भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2032
जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

घर से मतदान

2032 श्री रविचंद्र वद्दीराजू :

श्री मोहम्मद नदीमुल हक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित हुए राज्य चुनावों में घर से मतदान करने का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिव्यांग मतदाताओं को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर यह सुविधा प्रदान करने से मना कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत निर्वाचन आयोग को दिव्यांग मतदाताओं या ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करने वालों से घर से मतदान की सुविधा प्रदान न किए जाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं, जिन्होंने हाल ही में संचालित हुए राज्य निर्वाचनों में घर से मतदान प्रणाली के लिए विकल्प चुना था, का निम्नलिखित डाटा उपबंधित किया है :-

राज्य	दिव्यांग मतदाताओं की संख्या,जिन्होंने घर से मतदान के लिए विकल्प चुना था
झारखंड	2899
महाराष्ट्र	12,412

(ख) : भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि घर से मतदान के प्रयोजन के लिए दिव्यांगजनों के प्रवर्ग में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पात्रता मानदंड परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

"कोई निर्वाचक, जिसे निर्वाचक नामावली के लिए डाटबेस में चिन्हित किया गया है तथा जिसके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के अधीन संबद्ध प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित बैंच मार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र है (विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से अन्यून)" ।

(ग) : भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।
